न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2409–चार/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–9–02 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 275/01–02/निगरानी.

1– सूरजमल आत्मज भेराजी
2– गौतमलाल आत्मज भगवानजी
निवासीगण ग्राम चौकानखेड़ा
तहसील जावद जिला नीमच .....आवेदकगण

विरूद्ध

रामचन्द्र आत्मज नोलाजी
निवासी ग्राम चोकानखेड़ा
तहसील जावद जिला नीमच .....अनावेदक

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0सी0 बंसल, अभिभाषक, अनावेदक

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 4/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, जावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–02 के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, नीमच के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 27–8–02 को आदेश पारित कर प्रकरण इस निष्कर्ष के साथ समाप्त किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है, जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी ग्राह्य नहीं है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–9–02 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत मानकर प्रकरण समाप्त करने में त्रुटि की है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण नोईयत परिवर्तन का था, और नोईयत परिवतन संहिता की धारा 237 के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत नहीं था बल्कि संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत था, और अपर कलेक्टर को निगरानी सुनने का अधिकार था।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर सार्वजनिक उपयोग की है, और सार्वजनिक भूमि की नोईयत परिवर्तित नहीं की जा सकती है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण शासकीय भूमि से अदला–बदली का है । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण की निगरानी इस आधार पर निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है कि प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत होने से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है, क्योंकि तत्समय संहिता के अंतर्गत निगरानी सुनने का अधिकार प्राप्त था । चूंकि वर्तमान में उक्त अधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रकरण का अंतिम निराकरण इसी स्तर पर किया जा रहा है । वर्तमान में शासन नियमों को देखते हुए सामान्य प्रकरण में शासकीय भूमि से अदला–बदली की अनुमति नहीं है । अतः अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–8–02 अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–02 निरस्त किये जाकर अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के अदला–बदली हेतु प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर